हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को भारी धक्का

656. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कुल्लु और मनाली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले वर्ष के दौरान हुई भारी वर्षा से कई महीने तक पूर्णतया क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध रहने से पर्यटन को धक्का पहुंचा है;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग को अस्थाई मरम्मत कराने के बाद खोल दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप इसे थोड़ी सी वर्षा होने पर भी बार-बार बंद कर दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार पर्यटन के संवर्धन को ध्यान में रखते हुए आगामी पर्यटन समय से पहले ही उक्त राजमार्ग की पूर्ण मरम्मत कराने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री **(श्री गुलाम नबी आजाद):** (क) सितम्बर, 1995 में भारी वर्षा से राष्ट्रीय राजमार्ग-21 को क्षति पहुंची, जो 4 सितम्बर से 23 नवम्बर, 1995 तक बन्द रहा, जिससे कुल्लू मनाली में पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। 30 सितम्बर, 95 को यातायात बाएं तट के रास्ते से जोकि एक राज्यीय राजमार्ग है, फिर चालू कर दिया गया।

(2) राष्ट्रीय राजमार्ग-21 पर यातायात, क्षति को अस्थायी रूप से मरम्मत करने के पश्चात खोल दिया गया है, तथापि यह सच नहीं है कि यह मार्ग थोड़ी से वर्षा होने पर भी बार-बार बंद रहता है।

(ग) आगामी पर्यटन समय के दौरान पर्यटकों को किसी असुविधा से बचाने के लिए राज्य सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग-21 को बाढ़ से पूर्व की स्थिति में चालू करने के लिए, युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है।

पल्स पोलियो अभियान

857. **श्री राजनाथ सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में प्रिन्ट और इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा पल्स पोलियो अभियान का व्यापकर प्रचार करने के बावजूद फरीदाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की एक मात्र डिस्पेन्सरी (संख्या 70) को इस अभियान में शामिल नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप सैंकड़ों लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा जबकि अभियान का नारा ही यही था "यदि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया"; और

(ख) फरीदाबाद स्थित एकमात्र डिस्पेंसरी को अभियान में शामिल न करने के लिए, जिससे लोग सेवा से वंचित हो जाते हैं, जिम्मेवार अधिकारियों के विरूद्ध सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और जल संसाधन मंत्री (श्री ए०आर० अन्तुले): (क) पल्स पोलियो अभियान के अन्तर्गत औषधालयों का सामान्यतः संबंधित राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुमान के आधार पर चयन किया गया था। फरीदाबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या-70 का हरियाणा सरकार द्वारा नहीं किया गया था क्योंकि अन्य औषधालयों की तुलना में यह औषधालय केन्द्रीय रूप में स्थित नहीं था।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

Setback in Malaria Control Programme

858. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Malaria Control Programme received setback due to various constraints of financial, administrative and technical nature; and

(b) if so, what steps have been taken to overcome the same?

THE MINISTER OF HEALTH ANDFAMILY WELFARE AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A.R. ANTULAY): (a) and (b) Incidence of Malaria has been contained around two million cases annually since 1984.

Steps taken to control Malaria in the Modified Plan of Operation include:

— enhancement of the budgetary allocation for the National Malaria Eradication programme (NMEPP) in the last three years;

— grant of 100% Central Assistance to the North-Eastern States since December, 1994;

— early detection and prompt treatment of malaria cases;

— vector control through effective use of insecticides to interrupt transmission;

— anti-larval measures to eliminate mosquito breeding sources;

— intensification of Health Education activities to create public awareness and participation in anti-malaria programmes;

— community involvement in malaria control activities;

Unauthorised constructions in Tagore Garden, New Delhi

859. SHRIMATI MALTI SHARMA: Will the Minister of URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to unauthorised constructions in DDA flats in EA blocks, near Water Tank in Tagore Garden, New Delhi;

(b) whether Government are also aware that these constructions have resulted in narrowing of roads in the area, leading to traffic jams;

(c) whether Government have taken any steps to remove these encroachments and unathorisied constructions; if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (DEPTT. OF URBAN EMPLOYMENT AND POVERTY ALLEVIATION) (SHRI S.S. AHLUWALIA): (a) to (d) The Tagore Garden area is denotified and control of building activities vests with the Municipal Corporation of Delhi, who have reported that as and when any unauthorised construction is noticed, necessary action is taken under the provisions of Sections 343, 344 and 345A of the Delhi Municipal Corporation Act.

According to Municipal Corporation of Delhi, there is no unauthorised construction on the municipal roads and therefore, there is no question of narrowing of roads.

Restoration of subsidy to Industry in Gujarat

860. SHRI KANAKSINH MOHANSINH MANGROLA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there has been demand from industrial units in Gujarat to restore the subsidy which was discontinued by the Union Government on the directions of High Court;

(b) whether several industrial units in Gujarat which have taken the first instalment are facing crisis; and

(c) if so, in what manner Government propose to solve the problems being faced by industrial units in Gujarat?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DR. C. SILVERA): (a) and (b) No, Sir.

(c) Does not arise.

सरकारी आवास का सामान्य पूलों से पृथक पूलों में स्थानान्तरण

861 **श्री नागमणि:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सरकारी आवास को एक पृथक कोटा/पूल बनाकर सामान्य पूल से स्थानांतरित कर दिया गया है और कुछ को सरकारी विभागों/संगठनों के नियंत्रण में दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त विभागों/संगठनों को उनकी मांग पर कुछ और सरकारी आवास/एकक सौंपे गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन विभागों/संगठनों के सरकारी कर्मचारियों के आश्रित उनकी सेवानिवृत्ति के बाद संपदा निदेशालय के आवास/एककों के नियमित/तदर्थ आबंटन के हकदार होते हैं; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एस०एस० अहलुवालिया): (क) और (ख) जिन सरकारी विभागों/संगठनों को अपने पृथक पूल